आकाशवाणी श्री विजयपुरम

10.03.2026 समय : 1905

1. प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाने की सहमति दीं। साथ ही मंत्रिमंडल ने मदुरै हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया।

2. केरल के एर्नाकुलम और तमिलनाडु के तिरूचिरापल्ली में कल प्रधानमंत्री कुल सोलह हजार चार सौ पचास करोड़ रूपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे।

3. अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम ने राष्ट्रपति की उपस्थिति में प्रोटोकॉल की अनदेखी पर आदिवासी समाज के अपमान पर चिंता व्यक्त की।

4. राजधानी श्री विजयपुरम के हैडो में शिविर पुस्तकालय के माध्यम से विद्यार्थियों में ज्ञान, कल्पनाशक्ति और आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहन दिया गया।

<><><><><><><>

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की सहमति दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में आज संवाददाताओं को यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में जल शक्ति मंत्रालय के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके तहत जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन को बुनियादी ढांचे के निर्माण से लेकर सेवा वितरण के स्तर तक पुनर्गठित किया जाना है। जल जीवन मिशन के पुनर्गठन के लिए मंत्रिमंडल ने इसके कुल परिव्यय को बढाकर 8 लाख 69 हजार करोड रुपये कर दिया है। इसमें केंद्र सरकार की ओर से 3 लाख 59 हजार करोड़ रुपये की सहायता शामिल है। मंत्रिमंडल ने इसके साथ ही एक समान राष्ट्रीय डिजिटल ढांचा, "सुजलम भारत", स्थापित करने को भी सहमति दी है। इसके तहत प्रत्येक गांव को एक विशिष्ट सुजल गांव/सेवा क्षेत्र आईडी आवंटित की जाएगी। इससे नल तक संपूर्ण पेयजल आपूर्ति प्रणाली का डिजिटल मानचित्रण किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु के मदुरै हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हवाई अड्डा दक्षिणी तमिलनाडु के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार और पर्यटन तथा तीर्थयात्रा को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाता है।

<><><><><><><>

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल केरल और तमिलनाडु का दौरा करेंगे। दोपहर डेढ़ बजे, प्रधानमंत्री केरल के एर्नाकुलम में लगभग दस हजार आठ सौ करोड़ रुपये की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में लगभग पांच हजार छ सौ पचास करोड़ रुपये की कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे।

<><><><><><><>

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि समान नागरिक संहिता– यूसीसी लागू करने का समय आ गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने उन्नीस सौ सैंतीस के शरिया कानून के प्रावधानों को मुस्लिम महिलाओं के साथ भेदभावपूर्ण बताते हुए निरस्त करने की याचिका को एक अच्छा मामला बताया और कहा कि इस पर केवल विधायिका को ही विचार करना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची तथा न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कहा कि शरिया उत्तराधिकार कानून को निरस्त करने से एक कानूनी शून्य उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि मुस्लिम उत्तराधिकार को नियंत्रित करने वाला कोई वैधानिक कानून नहीं है।

<><><><><><><>

अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम ने पश्चिम बंगाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति के साथ हुए कथित अपमानजनक व्यवहार की कड़ी निंदा की है। आश्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि 7 मार्च को दार्जिलिंग (सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल) में आयोजित इस सम्मेलन में भारत सहित पड़ोसी देशों बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से बड़ी संख्या में संथाल समाज के प्रतिनिधि, अन्य जनजातीय समुदाय तथा शहरी समाज के लोग उपस्थित हुए थे। सम्मेलन स्थल को कार्यक्रम से दो दिन पूर्व अचानक बदल दिया गया, जो सम्मेलन

के विशाल स्वरूप और राष्ट्रपति की उपस्थिति को देखते हुए अत्यंत छोटा था। प्रशासन द्वारा प्रतिभागियों की संख्या कम करने के प्रयास किए गए तथा प्रतिनिधियों के सामने कई प्रकार की बाधाएँ उत्पन्न की गईं। आश्रम ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की सुरक्षा व्यवस्था में कथित लापरवाही, प्रोटोकॉल के अनुसार मुख्यमंत्री या किसी वरिष्ठ मंत्री की अनुपस्थिति तथा राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन के असहयोगपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण व्यवहार की भी कड़ी आलोचना की है। अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के अध्यक्ष राम कुमार सिंह ने कहा कि यह घटना केवल देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान ही नहीं, बल्कि पूरे आदिवासी समाज और संथाली भाषा का भी अपमान है।

<><><><><><><>

शिक्षा निदेशालय द्वारा राज्य पुस्तकालय में चलाए जा रहे अभियान के तहत आज से राजकीय प्राथमिक विद्यालय हैडो में पाँचवें शिविर पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया। इस पहल का उद्देश्य प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए पढ़ने की आदत को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के उपप्रधानाचार्य आर. सेतुक्करई थे। मुख्य अतिथि ने विद्यार्थियों को नियमित रूप से पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि पुस्तकें बच्चों के ज्ञान, कल्पनाशक्ति और आलोचनात्मक सोच को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। शिविर पुस्तकालय में बच्चों के लिए कहानी पुस्तकों सहित विभिन्न रोचक पठन सामग्री उपलब्ध कराई गई है, जिन्हें खुले और आकर्षक वातावरण में व्यवस्थित किया गया है। कार्यक्रम में शिक्षकों, विद्यार्थियों, पुस्तकालयाध्यक्षों तथा शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। शिक्षा निदेशालय की यह पहल विद्यार्थियों में जिज्ञासा बढ़ाने तथा आजीवन सीखने की भावना को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

<><><><><><><>

डॉ. बी. आर. अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान में शैक्षणिक सत्र 2025–26 के लिए अंशकालिक प्रशिक्षक के पद के लिए साक्षात्कार की तिथि में परिवर्तन किया गया है। यह साक्षात्कार 16 मार्च को आयोजित किया जाएगा।

<><><><><><><>

सरकार ने तेल रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने और अतिरिक्त उत्पादन को घरेलू उपयोग के लिए उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। यह कदम ईंधन आपूर्ति में मौजूदा भू–राजनीतिक तनाव और एलपीजी आपूर्ति पर लगी पाबंदियों के मद्देनजर उठाया गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी आपूर्ति को प्राथमिकता दी गई है। साथ ही जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए सिलेंडर की दो बुकिंग के बीच का अंतर बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है।

<><><><><><><>

पश्चिम एशिया में मौजूदा स्थिति को देखते हुए सरकार ने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए प्राकृतिक गैस के उत्पादन को विनियमित करने, आपूर्ति बनाए रखने, समान वितरण और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लागू किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार घरेलू पाइपलाइन प्राकृतिक गैस आपूर्ति, परिवहन के लिए सीएनजी, एलपीजी उत्पादन, पाइपलाइन कंप्रेसर ईंधन और अन्य आवश्यक पाइपलाइन परिचालन आवश्यकता वाले क्षेत्रों को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में प्राथमिकता दी गई है। उर्वरक संयंत्रों को पिछले छह महीनों की औसत गैस खपत के 70 प्रतिशत के बराबर प्राकृतिक गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। गैस विपणन संस्थाएं यह सुनिश्चित करेंगी कि राष्ट्रीय गैस ग्रिड के माध्यम से आपूर्ति किए जाने वाले चाय उद्योग, विनिर्माण और अन्य औद्योगिक उपभोक्ताओं को पिछले छह महीनों की औसत गैस खपत के 80 प्रतिशत के बराबर गैस की आपूर्ति बनी रहे। आदेश में यह भी कहा गया है कि सभी शहरी गैस वितरण संस्थाएं यह सुनिश्चित करेंगी कि औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को आपूर्ति किए जाने वाली गैस उनकी पिछले छह महीनों की औसत गैस खपत का 80 प्रतिशत हो।

<><><><><><><>